

मीडिया ट्रायल

प्रलिस के लयः

कंगरू कोरु, सीजेआई, अनुच्छेद 21 और 19, मूलकऱ अधकर।

मेनुस के लयः

मीडया ट्रायल और इसके नहतऱरुथ।

करुा में करुु?

हल ही में [भरत के मुख्य नुयायाधीश \(CJI\)](#) ने कहा कऱ मीडया एजेंडा संचलतऱ बहस और कंगरू कोरु चलर हऱ है, जो लोकतंत्र के लयऱ उरुतऱ नऱरु है।

कंगरू कोरु

- "कंगरू कोरु/समलनंतर नुयायकऱ आपूरुतऱ प्रणलऱ" वलकुरलंश कल प्ररुयुग नुयायकऱ प्रणलऱ के खलऱफ कऱतल जलतल है जहलँ अभऱुकुत के खलऱफ नरुणऱय आमतुर पर पूरुव नरुधरतऱ हुतल है।
- यह सुव-गठतऱ यल छदुम नुयायललय है, जसऱऱ बनऱ कसऱऱ पूरुव रुतऱन के नरुणऱय देने के उदुदेशु से सुथलपतऱ कऱतल जलतल है और आमतुर पर आरुपऱ वुयकुकु के संदरुभ में फऱसलल कऱतल जलतल है।
 - यह अभवऱऱकुकु ऑसुदुरेलऱयऱ में देखऱ गई लेकनऱ इसे पहलऱ बलर अमेरकऱ में वरुष 1849 के कऱलफऱरुनऱयऱ गुरुड रश के दुरलन दरुज कऱतल गऱतल थल।
- सुवयऱत संघ में सुटलनऱ युग के दुरलन कंगरू कोरु आम धररणल थऱ, जो सुवयऱत गुरऱट परुज के "मलँसुकु टुरलऱल" के रूड में प्रसदऱध।

मीडया टुरलऱलः

- पररुतऱऱः
 - मीडया टुरलऱल एक ँसल वलकुरलंश है जो 20वीं सदऱ के अंत और 21वीं सदऱ कऱ शुरुआत में कसऱऱ वुयकुकु कऱऱ प्रतऱषुठल पर टेलऱवजऱन और समलकर पतुरु के कवरऱज के प्रभलव कल वरुणन करुने हेतु कलनून कऱ अदलत में कसऱऱ फऱसले से पहले यल बलद में अपरलध यल बेगुनलही कऱ वुयलपक धररणल बनलने के लयऱ लुकप्ररुतऱ है।
 - हलल के दनऱँ में ँसे कऱई उदलहरण सलमने आऱ है जनऱमें मीडया ने आरुपऱ के खलऱफ मीडया टुरलऱल कर नुयायललय दुरलरल फऱसलल सुनलऱऱ जाने से पहले ही अपनल फऱसलल सुनल दऱतऱ।
- संवधलनकऱतलः
 - हललल कऱ मीडया टुरलऱल शबुद कु कऱही भी सीधे तुर पर परभलषतऱ नऱरु कऱतल गऱतल है लेकनऱ अपरुतुयकुकु रूड से यह शकुकुतऱ भरत के संवधलन के [अनुच्छेद 19](#) के तहत मीडया कु प्ररुपुत है।
 - भरत के संवधलन कल अनुच्छेद 19 प्ररुतुयकुकु वुयकुकु कऱऱ अभवऱऱकुकु कऱऱ सुवतंत्रतल प्रदलन करतल है।

मीडया टुरलऱल के नहतऱरुथः

- नुयायकऱ कलमकलज कु प्रभलवतऱ करतल हैः
 - नुयायलधीशु के खलऱफ संयुकुकुत अभऱऱन, वशऱष रूड से सुशल मीडया संचलतऱ और मीडया टुरलऱल नुयायकऱ कलमकलज कु प्रभलवतऱ करते है।
 - नुयायलरुुं में लंबतऱ मुदुदुं पर मीडया में गऱर-सूरुतऱ, पकुकुषपलतपूरुण और एजेंडल संचलतऱ बहस नुयल वतऱरण कु प्रभलवतऱ कर रहल है।

- **नकली और असली में भेद न कर पाना:**
 - नए मीडिया उपकरणों में व्यापक वसतिर की कषमता है लेकनि वे सही और गलत, अचछे तथा बुरे एवं असली व नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं।
 - मीडिया ट्रायल मामलों को तय करने में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है।
- **गलत वर्णन:**
 - मीडिया उन घटनाओं का वर्णन करने में सफल रहा है जनिहें गुप्त रखा जाना चाहयि।
 - मीडिया परीक्षण कथति अभयिक्तों के गलत वर्णन का कारण बना है और इसने उनके कॅरयिर को समाप्त करने का काम कयिा है, केवल इस तथय से कविे आरोपी थे, भले ही उन्हें अभी तक न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहरायिा गया हो।
- **लोकतंत्र के लयिे अचछा नहीं:**
 - मीडिया ने अपनी ज़मिमेदारी का उल्लंघन करते हुए लोकतंत्र को पीछे ले जाने का काम कयिा है तथा लोगों को प्रभावति कयिा है और व्यवस्था को कषति पहुँचाई है।
 - अभी भी प्रति मीडिया में कुछ हद तक जवाबदेही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही शून्य है।
- **नफरत और हसिा भडकाना:**
 - पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ जनता की धारणा में हेरफेर कर सकते हैं तथा समाज में वभिन्न समुदायों के बीच नफरत, हसिा एवं वैमनस्य पैदा कर सकते हैं।
 - वस्तुनषिठ पत्रकारति का अभाव समाज में सत्य की झूठी प्रस्तुतकी ओर ले जाता है जो लोगों की धारणा और राय को प्रभावति करता है।
- **एकांतता का अधिकार:**
 - वे हमारी नजिता पर आक्रमण करते हैं जो [अनुच्छेद 21](#) के तहत गारंटीकृत एकांतता के अधिकार के उल्लंघन का कारण बनता है।

भारत में मीडिया वनियमन:

- भारत में मीडिया और मनोरंजन कषेत्र का नयितरण और वनियमन **केबल नेटवर्क अधनियम, 1995** तथा **प्रसार भारती अधनियम, 1990** में नहिति है। इन्हें **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** तथा **प्रसार भारती** द्वारा नयितरति कयिा जाता है।
- **मीडिया वनियमन के लयिे भारत में चार नकिय हैं:**
 - **भारतीय प्रेस परिषद:** इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है।
 - **समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण:** यह न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) द्वारा स्थापति एक स्वायत्त नकिय है।
 - **प्रसारण सामग्री शकियत परिषद:** यह सभी गैर-सामाचार समान्य मनोरंजन चैनलों से संबंधति शकियतों को देखने के लयिे एक स्व-नयिमक नकिय है।
 - **न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA):** यह नजिी टेलीवजिन समाचार और समसायक घटनाओं के ब्रॉडकास्टर्स का प्रतनिधित्व करता है।

आगे की राह

- मीडिया को केवल पत्रकारति के कार्यों में संलग्न होना चाहयि और अदालत की एक वशिष एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करना चाहयि।
- यद्यपि मीडिया एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है और हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ लोग समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं।
- मीडिया को यह समझना चाहयि कि उसकी भूमकिा उन मुद्दों को उठाना है जनिका जनता सामना कर रही है। मीडिया उनकी आवाज़ बन सकता है जो अपनी बात नहीं रख सकते। मीडिया को फैसला नहीं सुनाना चाहयि क्योंकि भारत में इस उद्देश्य के लयिे न्यायपालकिा है।
- मीडिया को अदालत के मामलों में दखल न देकर अपनी नैतिकता, सामाजकि ज़मिमेदारी और वशिषसनीयता को बनाए रखना चाहयि।

स्रोत: द हद्दि